सत्यमेव जयते

भारत सरकार

परिणामी बजट

2014–15

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

विषय–सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	**कार्यकारी सारांश**	i-iii
2	**अध्याय–I** मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना और कार्य	**1-8**
3	**अध्याय–II** योजनाओं/कार्यक्रमों के उद्देश्य, परिव्यय, वास्तविक निर्गम और परिणाम आदि	**9-15**
4	**अध्याय–III** नीतिगत पहलें और सुधार के उपाय	**16-20**
5	**अध्याय–IV** पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा	**21-30**
6	**अध्याय–V** वित्तीय समीक्षा	**31-41**
7	**अध्याय–VI** मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा	**42-45**

कार्यकारी सारांश

परिणामी बजट बजटिंग प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है, जो वर्ष 2012–13 और 2013–14 के वास्तविक निष्पादन तथा वर्ष 2014–15 के वास्तविक कार्य–निष्पादन के लक्ष्यों के साथ वित्तीय बजट के वास्तविक आयामों को दर्शाता है। परिणामी बजट आकलनीय कार्य निष्पादन के आधार पर सरकारी धनराशि के आबंटन और संवितरण के मध्य प्रभावी कड़ी स्थापित करने हेतु नीतिगत तंत्र के रूप में कार्य करता है।

2. परिणामी बजट 2014–15 में निम्नलिखित अध्यायों का उल्लेख है :

अध्याय I: इसमें मंत्रालय की संरचना, नीतिगत ढांचा, लक्ष्य, मुख्य कार्यों इसकी अनिवार्यता और मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का परिचय है।

अध्याय II: इसमें विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित वित्तीय परिव्ययों, अनुमानित वास्तविक लक्ष्यों तथा अनुमानित परिणामों के ब्यौरों का उल्लेख सारणीबद्ध विवरण के रूप में किया गया है ताकि वित्तीय परिव्ययों और लक्षित परिणामों के बीच तारतम्य स्थापित किया जा सके।

अध्याय III: इसमें अल्पसंख्यकों की विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार के अवसर और उनकी रहन–सहन दशाओं में सुधार हेतु विकास योजनाओं का लाभ उन्हें समान रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रमुख नीतिगत पहलों और सुधार–उपायों का उल्लेख है। इस अध्याय में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत महिलाओं को विशिष्ट संसाधनों का आवंटन कराने के लिए लैंगिक समुत्थान के बारे में मंत्रालय के प्रयासों का विवरण भी दिया गया है।

अध्याय IV: इसमें वर्ष 2012–13 और वर्ष 2013–14 के दौरान लक्ष्यों के संबंध में वास्तविक कार्य निष्पादन का योजनावार विश्लेषण किया गया है।

अध्याय V: इसमें हाल ही के वर्षों के बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों तथा व्यय की समग्र रूझानों की विस्तृत वित्तीय समीक्षा की गई है, जिसमें बकाया उपयोग प्रमाण–पत्रों की स्थिति का भी उल्लेख है।

अध्याय VI: इसमें मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है।

निगरानी तंत्र:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्वयं द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देता है, जिसके लिए विस्तृत बहु–स्तरीय प्रणाली विकसित की गई है। निगरानी तंत्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

क) योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक योजना का अपना निगरानी तंत्र है।

ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनागत स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की निगरानी, राज्य सरकारों/कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टें– जिसमें योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का उल्लेख होता है, के माध्यम से की जाती है।

ग) कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/एजेंसियों/संगठनों के साथ मिलकर की जाती है।

घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा मंत्रालय द्वारा प्रति तिमाही तथा सचिवों की समिति द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है और तत्पश्चात मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस कार्यक्रम के लिए गठित राज्य और जिला स्तर की समितियां राज्य और जिला स्तर पर प्रगति की निगरानी भी करती है।

ङ) अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी जिला, राज्य और केन्द्र स्तर पर विभिन्न समितियों द्वारा की जाती हैं।

च) दूसरी और बाद की किश्तें जारी किए जाने से पहले कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को उपयोग प्रमाण–पत्र, लेखा परीक्षित लेखे और अन्य अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती हैं।

छ) मंत्रालय और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट पर बहु–क्षेत्रीय विकास योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों के फोटोग्राफ और छात्रवृत्ति प्रदत्त छात्रों की सूची को स्थान देकर सामाजिक लेखा परीक्षा को संभव बनाया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट को मंत्रालय की वेबसाइट http//www.minorityaffairs.gov.in से जोड़ा गया है।

लोक सूचना प्रणालीः

मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सूचना, शिक्षा और संचार क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों में जागरूकता लाने और मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहु–आयामी कार्यनीति अपनाई है। इस संदर्भ में की गई विभिन्न पहलें इस प्रकार हैं –

क) देश भर में अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और स्थानीय भाषाओं के समाचार–पत्रों तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित करा कर प्रचार–प्रसार अभियान चलाया गया है।

ख) मंत्रालय की सभी योजनाओं/कार्यक्रमों के संदर्भ में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तरों को मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है।

ग) विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन तथा योजना से संबंधित ब्यौरों के प्रचार–प्रसार की दृष्टि से उन्हें मंत्रालय की वेबसाइट : **www.minorityaffairs.gov.in** पर उपलब्ध कराया गया है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। मंत्रालय का पोर्टल योजनाओं और कार्यक्रमों, रिपोर्टों, प्रकाशनों, प्रलेखों, सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यालय परिपत्रों/सूचनाओं आदि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है।

जेंडर आधारित पहलेंः

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर, मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के तहत वास्तवित लक्ष्य में से 30% लक्ष्य छात्राओं के लिए निर्धारित है।

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना विशेषकर महिलाओं के लिए है।

एनएमडीएफसी की लघु वित्त योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को गैर–सरकारी संगठनों/स्व–सहायता समूहों के माध्यम से उनकी जरूरत के अनुसार ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त करना है।

एनएमडीएफसी की महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को आय सृजक कार्यों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है और उन्हें कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं को 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

अध्याय–I

मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना और कार्य

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन 29 जनवरी, 2006 को अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों की ओर विशेष ध्यान दिए जाने को सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ से जुड़े नियामक और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा, मूल्यांकन, समन्वयन, समग्र नीति नियोजन में महत्तवपूर्ण भूमिका निभाने की दृष्टि से किया गया था।

मंत्रालय के प्रमुख कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। मंत्रालय के कार्य में सचिव को अंशकालिक संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार सहित चार संयुक्त सचिव सहयोग प्रदान करते हैं। तीन संयुक्त सचिव (क) नीति और प्रशासन, (ख) छात्रवृत्ति, मीडिया तथा मूल्यांकन और योजना (ग) संस्थान, वक्फ, समन्वय एवं योजना से जुड़े स्कंध के कार्य देखते हैं। उनके कार्यों में सात निदेशक/उप–सचिव सहयोग प्रदान करते हैं। मंत्रालय में स्वीकृत अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की संख्या 98 है।

मंत्रालय के क्रियाकलाप

क. योजनागत कार्यक्रम/योजनाएं

(i) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तिः

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को प्रदान की जाती है, जो समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी स्कूलों/संस्थानों में कक्षा I से कक्षा X तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हों। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित है। इस योजना की शुरूआत दिनांक 01.04.2008 से की गई जिसे राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2014–15 से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में क्रियान्वित की जाएगी।

(ii) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तिः

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को प्रदान की जाती है, जो समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में XI कक्षा से पी.एच.डी तक की भारत में शिक्षा के लिए तथा XI और XII कक्षा के स्तर की तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (राष्ट्रीय

व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध) से प्राप्त करने के लिए मानदंड को पूरा करते हों। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। इस योजना का कार्यान्वयन नवम्बर, 2007 से राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से किया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2013–14 तक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही थी, अब वर्ष 2014–15 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में क्रियान्वित की जाएगी।

(iii) निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजनाः

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान, कौशल में वृद्धि करके उन्हें सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सहायता करना है। इस योजना के तहत पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए संस्थानों में सुधारात्मक कोचिंग भी उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना चुनिन्दा कोचिंग संस्थानों को 100% केन्द्रीय सहायता से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे कार्यान्वित की जाती है। योजना के तहत लक्ष्य का 30% भाग छात्राओं के लिए निर्धारित है।

वर्ष 2013–14 के दौरान, दो राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक में प्रायोगिक आधार पर विज्ञान विषयों (पीसीबी/पीसीएम) के साथ 11वीं और 12वीं कक्षा में अभिकेंद्रित तैयारी के लिए चिन्हित 400 छात्रों के साथ योजना के नए संघटक के अंतर्गत शुरू की गई है। नए संघटक के अंतर्गत प्रति छात्र औसत लागत 1.00 लाख रु0 प्रतिवर्ष तक है।

(iv) व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति :

यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को दी जाती है, जो समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति से संबंधित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। इस योजना की शुरूआत जून, 2007 में हुई थी जिसे राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2013–14 तक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही थी, अब वर्ष 2014–15 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में क्रियान्वित की जाएगी।

(v) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान :

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर–लाभ अर्जक सोसाइटी है, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम,

1860 के तहत पंजीकृत है। सरकार द्वारा प्रतिष्ठान की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध करायी गयी संचित निधि (वर्तमान में ₹910 करोड़) के रूप में सहायता–अनुदान पर अर्जित ब्याज राशि ही प्रतिष्ठान की आय का मुख्य स्रोत है। प्रतिष्ठान की दो मुख्य योजनाएं हैं – वर्तमान संस्थानों के विस्तार और उन्नयन के लिए सहायता अनुदान की योजना और 11वीं तथा 12वीं कक्षा में अध्ययनरत् अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की योजना।

(vi) बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी):

अल्पसंख्यक बहुल जिलों का अभिनिर्धारण अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता और सापेक्ष रूप में पिछड़ेपन के आधार पर वर्ष 2007 में किया गया था। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अभिनिर्धारित अल्पसंख्यक जिलों में सामाजिक–आर्थिक स्थिति और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में अपर्याप्त विकास के अंतर को कम करना है। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 2008–09 में शुरू किया गया था। इसे राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने के उद्देश्य से वर्तमान में जिले के स्थान पर इकाई के रूप में ब्लॉक बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा, यह कार्यक्रम अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों तथा अल्पसंख्यक बहुल ग्राम समूहों जैसे अन्य जरूरत मंद क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा। परिणामस्परूप, वर्ष 2012–13 की तीन नई योजनाएं, नामतः (i) 100 अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों में शिक्षा संवर्धन की योजना (ii) एमसीबी/एमसीडी द्वारा कवर न किए गए गांवों हेतु ग्राम विकास कार्यक्रम और (iii) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जिला स्तर के संस्थान हेतु सहायता को बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में आमेलित कर दिया गया है, जिसे पुनसंर्रचना की जा रही है। 9वीं कक्षा की छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिल नामक योजना को भी इस कार्यक्रम के साथ आमेलित किया जा रहा है।

(vii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इक्विटी अंशदान :

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों के मध्य अपनी सावधि ऋण और लघु–वित्तपोषण योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार एवं अन्य उद्यमों को बढ़ावा देने में कार्यरत है। निगम को अपनी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए शेयर पूंजी उपलब्ध करायी जाती है। एनएमडीएफसी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹1500 करोड़ है।

एनएमडीएफसी की लघु वित्त योजना का उद्देश्य महिलाओं को गैर–सरकारी संगठनों/स्वःसहायता समूहों के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण सहायता उपलब्ध करा कर उन्हें सशक्त बनाना है। एनएमडीएफसी महिला समृद्धि योजना का कार्यान्वयन भी करता

है। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके आय सृजक कार्यों के लिए रियायती ब्याज दर पर लघु ऋण दिया जाता है।

(viii) एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदानः

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अपने कार्यों का संचालन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से करता है। इन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को अपने कार्य को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के क्रम में अवसंरचना, श्रमशक्ति और संसाधनों के अभाव का सामना करना पड़ता है और उनको अपनी क्षमता और कार्य प्रणाली क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु सहायता–अनुदान दिया जाता है। संशोधित योजना के तहत, 100% अंशदान एससीए को उनके निष्पादन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

ix) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना

इस योजना का लक्ष्य सभी स्तर पर सरकारी तंत्रों, बैंको एवं अन्य संस्थानों के साथ संपर्क करने हेतु जानकारी, उपकरण एवं विधियां उपलब्ध कराते हुए महिलाओं को सशक्तिकरण करना तथा उनमें विश्वास जगाना है, ताकि वे घर और समुदाय की दहलीज से बाहर आने में सक्षम हो सकें और नेतृत्व की भूमिका निभा सके तथा सेवाओं, सुविधाओं, कौशलों, और अवसरों के बारे में अपने अधिकारों के लिए सामूहिक रूप में और अलग–अलग प्रयास कर सकें। साथ ही, अपने जीवन और रहन–सहन की दशाओं में सुधार लाने के लिए विकास संबंधी लाभों में अपने उचित हिस्से का दावा कर सकें।

x) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटीकरण

यह योजना वक्फ से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसरण में बनायी गई थी। इस योजना के तहत, राज्य/संघ राज्य वक्फ बोर्डों को वक्फ रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय वक्फ़ परिषद के माध्यम से किया जाता है। केंद्रीकृत कम्प्यूटिंग सुविधाएं (सीसीएफ) की स्थापना के लिए 27 राज्य वक्फ़ बोर्डों को सहायता अनुदान जारी किए गए हैं। 27 राज्य वक्फ़ बोर्डों में सीसीएफ स्थापित कर लिए गए हैं। 31 मार्च, 2014 तक, भारतीय वक्फ़ प्रबंधन प्रणाली (वामसी) पंजीकरण मॉड्यूल में 298032 वक्फ़ संपत्तियों की प्रवृष्टि कर ली गई है। इसके अलावा, राज्य वक्फ़ बोर्डों, सीडब्ल्यूसी और एनआईसी को योजना के प्रारंभ से 16.18 करोड़ रु0 जारी किए गए हैं, जिसमें वर्ष 2013–14 (31.03.2014 तक) के दौरान, 2.98 करोड़ रु0 की राशि शामिल है।

xi) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम०फिल० तथा पी०एचडी० जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करने का है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शामिल किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति यू०जी०सी० अध्येतावृत्ति की तर्ज पर होगी तथा एम०फिल० तथा पी०एचडी० पाठ्यक्रमों के शोध छात्रों को दी जाएगी। अध्येतावृत्ति का 30% शोध छात्राओं के लिए निर्धारित है।

xii) प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकनः

इस योजना का उद्देश्य अनुसंधान अध्ययनों के माध्यम से अल्पसंख्यकों की समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में सूचना और डाटा–बेस सृजित करना, आधारभूत सर्वेक्षणों के माध्यम से अर्याप्त विकास के बारे मे सूचना एकत्र करना, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की समवर्ती निगरानी करना, अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों और पहलों के बारे में जागरुकता सृजित करने के लिए सूचना के प्रसार हेतु वार्षिक मीडिया योजना बनाना और मल्टी–मीडिया अभियान चलाना, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्रीय कार्यक्रम का व्यापक रूप में प्रचार–प्रसार करना और बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी), तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित विषयों पर कार्यशालाओं/विचार गोष्ठियों के आयोजन में सहायता देना है।

xiii) राज्य वक्फ बोर्ड का सुदृढ़ीकरण

जेपीसी ने अपनी नवीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्य/संघ राज्य वक्फ़ बोर्डों को केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए जा रहे सहायता का मौजूदा स्तर न केवल अपर्याप्त है अपितु असमान भी है। औकाफ के प्रशासन का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों के पास निहित है। राज्य सरकारों को उनके वक्फ़ बोर्डों के सुदृढ़ करने के लिए सहायता से उनकी वक्फ संपत्तियों के अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन तथा प्रबंधन होगा और आय सृजन में सुधार होगा तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। इसके अलावा, ऐसी निधियां कतिपय शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जानी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ़ बोर्डों को कार्य चालन तथा संस्थागत क्षमता उनके आय सृजन सुधार लाएगा और वे आत्मनिर्भर होंगे। उनकी क्षमताओं में सुधार से उनकी आय बढ़ेगी, जिससे बाहरी वित्तीय सहायता पर उनकी निर्भरता कम होगी तथा समय के साथ यह समाप्त हो जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत निधियां केंद्रीय वक्फ़ परिषद को जारी की जाती हैं, जो बाद में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बोर्डों को निधियां देंगे। परिषद कार्यान्वयन एजेंसी होगी। आकस्मिकता निधि के रूप में निर्धारित 10% में से 5% सीडब्ल्यूसी के उपयोग हेतु प्रशासनिक और सहायक लागत के लिए होगा।

वर्ष 2013–14 के दौरान, सीडब्ल्यूसी को 1.91 करोड़ रु0 जारी किए गए थे।

xiv) अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध छात्रों के लिए विदेशों में अध्ययन संबंधी योजना हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता

विदेशों में उच्चा शिक्षा में अध्ययनरत् अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करने के माध्यम से वित्तीय सहातया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। यह योजना तैयार कर ली गई है और वर्ष 2014–15 के दौरान क्रियान्वित की जाएगी। केनरा बैंक क्रियान्वयन एजेंसी होगा।

xv) लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना

लघु अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् पारसियों की आबादी जनगणना आबादी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1941 में 1,14,000 थी, जो घट कर वर्ष 2001 में 69,000 रह गयी। लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी तथा आबादी में गिरावट के रूझान को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह योजना बनायी गई है और वर्ष 2013–14 के दौरान इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है।

xvi) संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता :

अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (पीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, को सरकारी सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व में सुधार लाने की दृष्टि से उन्हें सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त उल्लिखित सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात की तुलना में बहुत कम है। इस योजना में यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है कि इसका लाभ सक्षम अभ्यर्थियों को मिले। यह योजना पात्र अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अभिप्रेत है। यह योजना तैयार कर ली गई है और इसका क्रियान्वयन वर्ष 2013–14 के दौरान शुरू हो गया है।

xvii) कौशल विकास संबंधी पहलें :

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को दक्षता तथा उन्नत दक्षता प्रदान करके अल्पसंख्यकों में रोजगार और जीविकोपार्जन दक्षता सृजन में वृद्धि करना है। इस स्कीम में बहु–प्रतियोगी तथा निर्गमन, शीर्षस्थ और समस्तरीय गतिशीलता और जीवनपर्यन्त अध्ययन अवसरों से युक्त कुशल जनशक्ति विकसित करने की योजना है। इस स्कीम में विभिन्न स्तर के कार्यक्रमों (स्थापन, दक्षता निर्माण और उन्नयन) तथा मौजूदा अवसंरचना को इष्टतम उपयोग की परिकल्पना है ताकि प्रशिक्षण पर लागत कम आये। यह योजना तैयार कर ली गई है और इसका क्रियान्वयन वर्ष 2013–14 के दौरान शुरू हो गया है।

xviii) मौलाना आजाद चिकित्सा सहायता (मौलाना आजाद सेहत योजना) :

इस योजना में माननीय वित्त मंत्री द्वारा उनके 2013–14 के बजट भाषण में की गई घोषणा कि इस योजना के लिए 100 करोड़ रु0 की राशि आबंटित की गई है, के अनुसार अल्पसंख्यक छात्रों के चिकित्सा इलाज के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। तद्नुसार, वार्षिक योजना 2014–15 के लिए 2.00 करोड़ रु0 आबंटित किए गए हैं।

xix) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधानः यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है।

ख. गैर–योजनागत स्कीमें

(i) <u>शहरी वक्फ परिसंपत्तियों के विकास की योजना के तहत वक्फों को सहायता–अनुदान</u>

रिक्त वक्फ भूमि को अतिक्रमणकर्ताओं से बचाने तथा कल्याणकारी क्रियाकलापों में विस्तार देकर आय सृजन हेतु इस भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजन से विकसित करने की दृष्टि से केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1974–75 से किया जा रहा है, जिसके लिए परिषद को केन्द्र सरकार से वार्षिक आधार पर सहायता अनुदान मिलता है। इस योजना के तहत देश भर में विभिन्न वक्फ संस्थानों को वक्फ भूमि पर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य भवनों को संरक्षण में लेने के लिए ऋण दिया जाता है। ऋण राशि का पुनर्भुगतान ऋण प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा परिषद को आसान किश्तों में किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त धनराशि से परिषद के परिक्रामी निधि का सृजन होता है, जिसे लघु परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु पुनः उपयोग में लाया जाता है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा सितम्बर, 1974–75 से कुल ₹44.33 करोड़ राशि का सहायता–अनुदान जारी किया गया है, जिसमें वर्ष 2013–14 (31.03.2014 तक) के दौरान जारी ₹268.00 लाख शामिल हैं।

(ii) केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान

वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी 9वीं रिपोर्ट में केन्द्रीय वक्फ परिषद (वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 8 (क) अब वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 की उपधारा के रूप में पठित) को प्रशासनिक व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुशंसा की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परिषद को सुदृढ़ बनाना है। यह योजना अभी तैयार की जानी है। तथापि, 2014–15 के दौरान ₹3.00 लाख का मामूली प्रावधान किया गया है।

(iii) राष्ट्रीय वक्फ़ विकास निगम (नावाडको)

राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नावाडको) ₹500 करोड़ की शेयर पूंजी और ₹100 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ 31.12.2013 को निगमित किया गया था। 49% शेयर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, 9% केन्द्रीय वक़्फ परिषद और शेष वक्फ संस्थानों तथा जनता के पास है। कॉरपोरेट कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

ग. अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्रीय कार्यक्रमः

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में हुई थी।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य है (क) शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना; (ख) वर्तमान एवं नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में अल्पसंख्यकों की बराबर की भागीदारी, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य तथा केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती सुनिश्चित करना, (ग) अवसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना; और (घ) साम्प्रदायिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण।

नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शोषित वर्ग के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्ग तक पहुंचे। अल्पसंख्यकों को इन योजनाओं का लाभ एक समान पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए इस नए कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि विकास से जुड़ी परियोजना का कुछ भाग अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाए। इसमें यह भी प्रावधान है कि विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों और परिव्ययों का यथासंभव 15% भाग अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में यथापरिकल्पित निर्धारण योग्य मानी गई योजना के तहत वास्तविक लक्ष्यों और वित्तीय परिव्ययों में से 15% का निर्धारण अधिकांश योजनाओं के संदर्भ में कर लिया गया है।

अध्याय–II

योजनाओं/कार्यक्रमों के उद्देश्य, परिव्यय, वास्तविक निर्गम और परिणाम आदि

वर्न 2014-15 के लिए ₹3711 करोड़ का योजनागत बजटीय प्रावधान है । केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं अर्थात (i) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता-अनुदान (ii) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति, (iii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, (iii) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति (iv) निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना (vi) अल्पसंख्यकों हेतु प्रचार सहित विकास योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन (vii) एनएमडीएफसी को इक्विटी अंशदान (viii) एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान (ix) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (xi) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (xii) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना और (xiii) विदेशों में अध्ययनरत् छात्रों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता (xiv) छोटे अल्पसंख्यक समुदायों की घटती आबादी को नियंत्रित करने की योजना (xv) राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण (xvi) कौशल विकास संबंधी पहलें और (xvii) यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की सहायता (xviii) मौलाना मेडिकल सहायता योजना आदि के लिए ₹2469 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं और अल्पसंख्यकों हेतु केंद्र प्रायोजित योजना अर्थात बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए ₹1242 करोड़ प्रदान किये गयें हैं। वर्ष 2014–15 के गैर–योजनागत बजटीय प्रावधान में दो योजनाओं के लिए (वक्फों को सहायता–अनुदान की योजना के लिए ₹3.15 करोड़ और केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान के लिए ₹0.03 करोड़) अर्थात् ₹3.18 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के लिए मात्रा निर्धारण, वास्तविक उपलब्धियां, वास्तविक लक्ष्य, अनुमानित परिणाम और समय सीमा संबंधी ब्यौरे नीचे की सारणी में दर्शाए गए हैं :–

परिणामी बजट 2014–15

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014–15 (करोड़ ₹ में)			वास्तविक उपलब्धि/ मात्रा निर्धारण	अनुमानित परिणाम	कार्य की समय सीमा/प्रक्रिया	टिप्पणियां/ जोखिमपूर्ण तथ्य
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर–योजनागत बजट	योजनागत बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं (सीएस)								
1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान	अल्पसंख्यकों के मध्य कमजोर वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ब्याज	–	113.00	–	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि के लिए ₹113	45,000 छात्रवृत्तियां तथा 175 शिक्षा संस्थानों को गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से	वर्न 2014-15 के दौरान	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा निवेशित राशि पर उपलब्ध ब्याज

1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
		अर्जन हेतु प्रति-ठान की संचित निधि में वृद्धि किए जाने हेतु।				करोड़ जारी किया जाना।	अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों के अवसंरचना विकास और शैक्षिक अवसंरचना के साथ–साथ महिला साक्षरता में भी सुधार लाया जा सकेगा।		दर में गिरावट की स्थिति में अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिष्ठान की आय पर्याप्त नहीं होगी।
2	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना	अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने हेतु तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए सहायता।	–	25.00	–	7000 छात्रों को कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता	6000 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिलों में वृद्धि की जा सके। इसके अतिरिक्त, 1000 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को विज्ञान विषय के साथ कक्षा 11वीं और 12वीं में अभिकेंद्रित तैयारी प्रदान की जाएगी।	वर्ष 2014–15 के दौरान	–

1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
3	प्रचार सहित विकास योजनाओं का अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन	अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ कार्यान्वित योजना और कार्यक्रमों की निगरानी करना और अनुसंधान अध्ययन करना। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार और प्रसार करना।	–	45.00	–	समाचार–पत्रों और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन जारी किया जाना। योजनाओं से संबंधित अनुसंधान/प्रभाव अध्ययन कराना। राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन।	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं का प्रचार–प्रसार लक्षित वर्ग के मध्य करना और उनमें जागरूकता लाना। अनुसंधान/ प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन और समवर्ती निगरानी कार्य किया जाना।	वर्ष 2014–15 के दौरान	-
4	एनएमडीएफसी को इक्विटी अंशदान	अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार और अन्य उद्यमों के लिए रियायती ऋण देने हेतु एनएमडीएफसी को सक्षम बनाने के लिए इसकी इक्विटी में अंशदान।	–	120.00	–	इक्विटी अंशदान के रूप में 120.00 करोड़ रूपए	वर्न्न 2014-15 के दौरान 96,374 लाभार्थियों को कवर किया जाना है।	इक्विटी वर्न्न 2014-15 के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी	निम्नलिखित कारणों से लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बाधा आ सकती है– 1. अधिकृत शेयर पूंजी के न बढ़ाए जाने पर। 2. यदि इक्विटी के मद में राज्य सरकार का योगदान प्राप्त नहीं होता है। 3. यदि राज्य सरकारी गारंटी नहीं देते हैं। 4. यदि वितरित ऋण की वसूली कम होती है; 5. यदि राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां कार्य नहीं करती हैं।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
5	एनएमडीएफसी के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता- अनुदान	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की श्रमशक्ति और संसाधनों की अवसंरचना को सुदृढ़ करना ताकि एजेंसियां ऋण देने का कार्य प्रभावी ढंग से कर सकें	-	2.00	-	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा ऋण लेन-देन कार्य में सुधार होने की संभावना है	वर्ष 2014–15 के दौरान	परिणाम की उपलब्धि बाधित होगी यदि राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां कार्य नहीं करती हैं।
6.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम0 फिल और पी0एचडी के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए।	-	50.00	-	756 नई अध्येतावृत्तियां और नवीनीकरण	इससे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के शैक्षिक निष्पादन और अनुसंधान संबंधी योग्यता में सुधार आयेगा।	वर्ष 2014–15 के दौरान	
7.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	राज्य वक्फ बोर्डों को उनके अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता	-	3.00	-	30 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों को शामिल करना।	वक्फ परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के कार्य निष्पादन में सुधार के फलस्वरूप राज्य वक्फ बोर्डों की आय में वृद्धि होगी जिसे समुदाय के लाभार्थ प्रयोग में लाया जाएगा।	वर्ष 2014–15 के दौरान	
8.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त करने तथा सेवाओं और अवसरों तक उनकी पंहुच हेतु उन्हें नेतृत्व की भूमिका निभाने हेतु नेतृत्व विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।	-	14.00	-	40,000 महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण दिए जाने के लिए।	अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और अपने स्थानीय समुदाय में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा।	वर्ष 2014–15 के दौरान	प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्वसनीय संगठनों/ संस्थानों की पहचान और उनका सत्यापन।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
9.	विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता	विदेशों में उच्च शिक्षा में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना।	–	4.00	–	अभी निर्धारण किया जाना है	विदेशों में उच्च शिक्षा में अध्ययन कर रहे अल्पसंख्यक छात्रों के परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना।	वर्ष 2014–15 के दौरान	
10.	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना	लघु अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् पारसियों की घटती आबादी को नियंत्रित करना।	–	2.00	–	अभी निर्धारण किया जाना है	लघु अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् पारसियों की घटती आबादी को नियंत्रित किया जाएगा।	वर्ष 2014–15 के दौरान	
11.	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	राज्य वक्फ बोर्डों को उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए उनको सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता।	–	7.00	–	इसमें 15 वक्फ बोर्ड कवर किये जाएंगे	निर्धन मुस्लिमों हेतु कल्याणकारी कार्यों के लिए वक्फ संपत्तियों से अतिरिक्त निधियों का अधिक सृजन और राज्य वक्फ बोर्डों का उन्नत कार्यकरण।	वर्ष 2014–15 के दौरान	
12.	कौशल विकास संबंधी पहलें	रोजगार और जीविकोपार्जन में वृद्धि करने के लिए कौशल और कौशल–उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना।	–	35.00	–	20,000 अल्पसंख्यक युवा	अल्पसंख्यक समुदायों को दक्षता तथा उन्नत–दक्षता प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उन्हें शीर्षस्थ और समस्तरीय गतिशीलता और जीवनपर्यंत अध्ययन अवसर मिले, जिससे वे आर्थिक दृष्टि से सशक्त हों।	वर्ष 2014–15 के दौरान	

1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
13.	यूपीएससी, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता।	प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।	–	4.00	–	800 लाभार्थी	सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाना।	वर्ष 2014–15 के दौरान	
14	मौलाना आजाद मेडिकल सहायता	अल्पसंख्यक विद्यार्थियों चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।	–	2.00	–	अभी निर्धारण किया जाना है	यह स्कूल जाने वाले बच्चों को अध्ययन करने और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।	वर्ष 2014–15 के दौरान	
15.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की शिक्षा के लिए सक्षम बनाना।	-	335.00	-	1.00 लाख छात्रवृत्तियां	तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र रोजगार अवसर का लाभ प्राप्त कर सकेंगे तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए अधिक से अधिक छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।	वर्ष 2014–15 के दौरान	योजना का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के कार्य निष्पादन पर निर्भर है।
16.	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित माता–पिताओं को उनके स्कूल जाने वाले छात्रों पर पड़ने वाले उनके वित्तीय भार को कम करने के लिए तथा उन्हें स्कूली शिक्षा पूरी करने के उनके प्रयासों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना।	-	1100.00	-	70 लाख छात्रवृत्तियां	छात्रवृत्तियां प्रदान करने के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे अल्पसंख्यक समुदायों की साक्षरता दर में सुधार भी लाया जा सकेगा।	वर्ष 2014–15 के दौरान	योजना का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के कार्य निष्पादन पर निर्भर है।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
17.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	उच्चतर शिक्षा हेतु बेहतर अवसर उपलब्ध कराना, उच्चतर शिक्षा की प्राप्ति में वृद्धि करना और उनकी रोजगारपरकता बढ़ाना।	–	600.00 (सचिवालय शीर्ष के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के लिए ₹1.50 करोड़ शामिल)	–	8 लाख छात्रवृत्तियां	छात्रवृत्तियां प्रदान करने के माध्यम से छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे उनकी रोजगार संबंधी संभावनों में सुधार लाया जा सकेगा।	वर्ष 2014–15 के दौरान	योजना का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के कार्य निष्पादन पर निर्भर है।
केंद्रीय प्रायोजित योजना									
18.	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)	अभिनिर्धारित जिलों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और सामाजिक–आर्थिक दशाओं में अपर्याप्त विकास को कम करना।	-	1250.00 (केंद्रीय क्षेत्र योजना के भाग के रूप में आबंटित, अंडमान एवं निकोबार को 3 करोड़ रु0 और प्रशासनिक लागत एवं आईईसी के लिए 5 करोड़ सहित)	-	अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों (एमसीबी)/नगरों आदि के परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन पर विचार करना और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधियां निर्मुक्त करना।	सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदंडों जैसे साक्षरता, कार्य भागीदारी, आवास, पेय जल आपूर्ति, शौचालय, प्रकाश आदि की स्थिति में सुधार लाना।	वर्ष 2014–15 के दौरान	लक्ष्यों की प्राप्ति राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा योजना प्रस्तावों को भेजे जाने तथा स्वीकृत कार्यक्रमों को समय पर कार्यान्वित करने पर निर्भर है।
19.	वक्फों को सहायता–अनुदान	शहरी वक्फ परिसंपत्तियों को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता	3.15	–	–	अधिक आय सृजन के लिए वक्फ परिसंपत्तियों को वाणिज्यिक आधार पर विकसित किया जाना।	निर्धन मुस्लिमों के लिए कल्याणकारी कार्यों के कार्यान्वयन हेतु वक्फ परिसंपत्तियों से अतिरिक्त धनराशि सृजित होगी।	वर्ष 2014–15 के दौरान	
20.	केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान	केन्द्रीय वक्फ परिषद को वित्तीय सहायता	0.03	–	–	केन्द्रीय वक्फ परिषद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।	केन्द्रीय वक्फ परिषद की कार्य प्रणाली में सुधार होगा।	वर्ष 2014–15 के दौरान	

अध्याय–III

नीतिगत पहलें और सुधार के उपाय

नीतिगत पहल

रा-ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अनुसार 6 समुदायों को अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार यह अल्पसंख्यक समुदाय कुल जनसंख्या का 18.82 प्रतिशत है। इस मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के विकास से जुड़े लाभों, विशे-नकर शिक्षा, रोजगार के अवसरों और जीवन स्तर में सुधार से जुड़ी विकासात्मक योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग तक समान रूप से पहुंचाने की दिशा में नीतिगत पहलें की है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

(i) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्रीय कार्यक्रमः अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम की घो-नणा जून, 2006 में हुई थी। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं **(क)** शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना, **(ख)** वर्तमान और नई योजनाओं के माध्यम से तथा स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि कर आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना तथा राज्य और केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती, **(ग)** अवसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, और **(घ)** सांप्रदायिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण।

नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शोषित वर्गों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों तक पहुंचे। अल्पसंख्यकों को इन योजनाओं का लाभ एक समान पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए इस नए कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि विकास से जुड़ी परियोजना का कुछ भाग अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाए। नए कार्यक्रम में यह भी प्रावधान है कि विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों और परिव्ययों में से यथासंभव 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

(ii) शिक्षा : इस मंत्रालय ने शिक्षा के सुधार पर बल दिया है तथा मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान की संचित निधि में वृद्धि और नई योजनाएं शुरु करने के उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं - अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां जैसे मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मैरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति । इन योजनाओं के साथ–साथ 'निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना' के तहत उपलब्ध छात्रवृत्तियों में से 30% छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। मौलाना

आजाद शिक्षा प्रति-ठान द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिए कई और योजनाए नामतः छात्रावासों तथा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण और विस्तार में सहायता की योजना और अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं के लिए 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन योजनाओं के उद्देश्य और अनुमानित परिणाम अध्याय–II में दिये गये हैं।

(iii) रोजगार के अवसर :

(क) रा-ट्रीय अल्पंसख्यक विकास और वित्त निगम के कार्यनि-पादन में सुधार लाने की दृ-िट से इसकी पुनर्सरचना की अनुसंशा के लिए गठित विशे-ज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। नियुक्ति परामर्शी फर्म ने रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और जुलाई, 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। स्टेक होल्डरों के परामर्शन में रिपोर्ट की जांच की गई और मार्च, 2012 में एक अन्य उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इस उच्च स्तरीय समिति ने अगस्त, 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर मामले पर अंतरमंत्रालयीन परामर्शन किए जा रहे हैं।

(ख) निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना : इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है तथा प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत 30% लाभ बालिकाओं के लिए निर्धारित है।

(iv) क्षेत्र विकास कार्यक्रम

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमः अल्पसंख्यक बहुल जिलों का अभिनिर्धारण वर्ष 2007 में सामाजिक–आर्थिक तथा आधारभूत सुविधा संकेतकों के संदर्भ में अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी और पिछड़ेपन के आधार पर किया गया था। एमएसडीपी का उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले चिन्हित पिछड़े जिलों में सामाजिक–आर्थिक स्थिति में अपर्याप्त विकास को दूर करना और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करना है। एमएसडीपी एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है और यह वर्ष 2008–09 में शुरू किया गया था। इसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने के उद्देश्य से जिले के स्थान पर ब्लॉक को योजना की इकाई के रूप में बनाए जाने और अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों तथा अल्पसंख्यक बहुल ग्राम समूहों जैसे अन्य जरूरतमंद क्षेत्रों में कार्यक्रम का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2012–13 की तीन नई योजनाएं नामतः (i) 100 अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों में शिक्षा के संवर्धन हेतु शिक्षा (ii) एमसीबी/एमसीडी द्वारा कवर न किए गए गांवों के लिए ग्राम विकास कार्यक्रम और (iii) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जिला स्तरीय संस्थानों को सहायता को बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में आमेलित कर दिया गया है, जिसकी पुनसंरचना की जा रही है।

9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिल नामक योजना को भी इस कार्यक्रम के साथ आमेलित कर दिया गया है।

(v) महिला सशक्तिकरण

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2012–13 से "अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास" के लिए योजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य सभी स्तर पर सरकारी तंत्रों, बैंको एवं अन्य संस्थानों के साथ संपर्क करने हेतु जानकारी, उपकरण एवं विधियां उपलब्ध कराते हुए महिलाओं को सशक्तिकरण करना तथा उनमें विश्वास जगाना है, ताकि वे घर और समुदाय की दहलीज से बाहर आने में सक्षम हो सकें और नेतृत्व की भूमिका निभा सके तथा सेवाओं, सुविधाओं, कौशलों, और अवसरों के बारे में अपने अधिकारों के लिए सामूहिक रूप में और अलग–अलग प्रयास कर सकें। साथ ही, अपने जीवन और रहन–सहन की दशाओं में सुधार लाने के लिए विकास संबंधी लाभों में अपने उचित हिस्से का दावा कर सकें। वस्तुतः, महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल समानता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह गरीबी में कमी लाने, आर्थिक वृद्धि करने और सिविल सोसाइटी को सुदृढ़ करने हेतु लड़ने में भी एक महत्वपूर्ण घटक है।

(vi) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना से वक्फ बोर्डों के कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता लायी जा सकेगी, जिसके फलस्वरूप राज्य वक्फ बोर्ड अपने औक्फ पर निगरानी रख सकेंगे, परिसंपत्ति संबंधी सूचनाओं और आकड़ों को अद्यतन रख सकेंगे, अतिक्रमण रोक सकेंगे, वक्फ परिसंपत्तियों से होने वाली आय पर नजर रख सकेंगे, कानूनी वादों को समय से लड़ सकेंगे और रिकार्डों के रख–रखाव और प्रबंधन कार्य को कारगर बना सकेंगे। कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा मंत्रालय के परामर्शन में विकसित किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन अब केंद्रीय वक्फ़ परिषद द्वारा किया जा रहा है।

<u>सुधार कार्य/सुधार के उपाय</u>

वर्तमान योजनाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैंः–

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी);

i) एनएमडीएफसी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा एनएमडीएफसी और भारत सरकार के मध्य हुए समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में त्रैमासिक आधार पर की जाती है।

ii) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तथा एनएमडीएफसी की इक्विटी में किये जाने वाले अंशदान को जारी करने के लिए राज्य सरकारों से सक्रिय रूप में संपर्क किया जाता है। वार्षिक योजनाओं और अनंतिम योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए प्रत्येक वर्ष राज्य चैनेलाइजिंग एजेसियों का सम्मेलन किया जाता है।

iii) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के कार्य निष्पादन और उनकी अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सुदृढ़ करने संबंधी एक योजना शुरू की गई थी।

iv) एसबीआई कैप्स द्वारा दिसम्बर, 2013 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट सिफारिशों के आधार पर एनएमडीएफसी का पुनर्गठन किया जा रहा है।

(II) मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान (एमएईएफ) :

i) 11वीं पंचव-र्षीय योजना (2007-2012) के दौरान प्रति-ठान की संचित निधि में पर्याप्त वृद्धि की गई है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान और वृद्धि किये जाने की परिकल्पना है।

ii) संगठन ने यह सुनिश्चित किया है कि गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान तथा छात्राओं को छात्रवृत्तियां दिए जाने संबंधी संभी महत्वपूर्ण सूचना मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.maef.nic.in पर उपलब्ध होगी।

iii) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के संसाधनों को राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार बराबर–बराबर आंवटित किया गया है, ताकि उन्हें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बराबर–बराबर संवितरित किया जा सके।

iv) मूल्यांकन–सह–परिसंपत्ति सत्यापन संबंधी अध्ययन किया गया।

(III) विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानीः

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्वंय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देता है, जिसके लिए कार्यक्रमों की निगरानी हेतु बहु–चरणीय प्रणाली अपनाई गई है। निगरानी तंत्र की मुख्य विशेषता इस प्रकार हैं :–

क) योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक योजना में संबंधित दिशा–निर्देशों में निगरानी तंत्र का उल्लेख है।

ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनागत स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, राज्य सरकारों/कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों जिसमें

योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का उल्लेख होता है, के माध्यम से की जाती है।

ग) कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/अभिकरणों/संगठनों के साथ मिल कर की जाती है।

घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में तथा सचिवों की समिति द्वारा 6 माह में की जाती है और उसके बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस कार्यक्रम के लिए गठित राज्य और जिला स्तर की समितियां राज्य और जिला स्तर पर प्रगति की निगरानी भी करती हैं।

ङ) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए विस्तृत बहु–स्तरीय निगरानी प्रणाली होती है। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की निगरानी जिला समितियों, राज्यों और केन्द्रीय स्तरों से की जाती है।

च) दूसरी और बाद की किश्तें जारी किए जाने से पहले कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को उपयोगिता प्रमाण–पत्र, लेखा परिक्षित खाते और अन्य अपेक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होती है।

छ) मंत्रालय और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट पर बहु–क्षेत्रीय विकास योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों के फोटोग्राफ और छात्रवृत्ति प्रदत्त छात्रों की सूची को स्थान देकर सामाजिक लेखा परीक्षा को संभव बनाया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट को मंत्रालय की वेबसाइट **http//www.minorityaffairs.gov.in** से जोड़ा गया है।

ज) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान कार्यान्वित ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली सफल सिद्ध हुई है। तद्नुसार, ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली वर्ष 2012–13 से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए भी विस्तारित की गई है। वर्ष 2014–15 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत निधियां प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली से जारी की जाएगी।

अध्याय–IV

पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा

वर्ष 2012–13 का विवरण

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	योजना / कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
1.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान	2012-13	100.00	0.00	150 गैर–सरकारी संगठनों को ऋण संवितरित करना और छात्राओं को 20,000 छावृत्तियां प्रदान करना।	136 गैर–सरकारी संगठनों को ₹17.66 करोड़ का सहायता–अनुदान स्वीकृत तथा 25,156 छात्रवृत्तियां संवितरित।
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (इक्विटी में अंशदान)	2012-13	100.00	99.64	गैर–सरकारी संगठनों / राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 82,408 लाभार्थियों को ₹220 करोड़ राशि का सावधि और लघु ऋण संवितरित करना।	गैर–सरकारी संगठनों / राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 1,02,336 लाभार्थियों को ₹371.09 करोड़ का लघु ऋण / वित्तीय सहायता संवितरित की गई।
3.	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	2012-13	2.00	0.00	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान जारी किया जाना।	कोई प्रस्ताााव प्राप्त नहीं।
4.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	2012-13	20.00	13.99	6000 छात्रों को कोचिंग देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना।	6,716 छात्रों को कोचिंग हेतु राशि जारी की गई।

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
5.	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/ अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	2012-13	40.00	31.05	मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित मीडिया अभियान चलाना और अनुसंधान/अध्ययन कराना।	इन विषयों नामतः अल्पसंख्यक महिला सशक्तिकरण; बहु–संस्कृति वाद और कानून; अल्पसंख्यक अधिकारों की समझ, संविधान और कानून; तथा धर्म निरपेक्ष–वाद, अल्पसंख्यक अधिकार एवं संविधान पर क्रमशः अमेठी, अलीगढ़, देहरादून और हैदराबाद में चार राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। एक मल्टी मीडिया अभियान चलाया गया। 1154 समाचार पत्रों में विज्ञापन मुद्रित कराए गए। आकाशवाणी तथा निजी एफएम चैनलों द्वारा सम्पूर्ण भारत में श्रव्य–दृश्य स्पॉट प्रसारित कराए गए। दूरदर्शन नेटवर्क पर टीवी कॉमर्शियल प्रसारित कराए गए और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 61 थियटरों सहित सम्पूर्ण भारत के 4475 थिएटरों में डिजिटल सिनेमा के माध्यम से दिखाए गए। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने अल्पसंख्यकों से संबंधित 6 डॉक्युमेंट्री फिल्में पूरी की। मदर टेरेसा और सूफी संस्कृति के बारे में डॉक्युमेंट्री फिल्में दूरदर्शन पर प्रसारित की गईं। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू आदि में नए पम्फलेट मुद्रित कराए गए।
6.	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	2012-13	220.00	181.18	60,000 छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना। (नवीकरण छोड़कर)	68,096 प्रदान किए गए (नएः 49,842 और नवीकरणः 18254) छात्रवृत्तियां (छात्राओं के लिए 23991)

(करोड़ ₹ में)						
क्रम सं0	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
7.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2012-13	900.00	786.14	40 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना। (नवीकरण छोड़कर)	64.37 लाख छात्रवृत्तियां (छात्राओं के लिए 32.92 लाख छात्रवृत्तियां) दी गई
8.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2012-13	500.00	326.43	5 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना। (नवीकरण छोड़कर)	7.56 लाख छात्रवृत्तियां (छात्राओं के लिए 4.37 लाख छात्रवृत्तियां) दी गईं।
9.	अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम।	2012-13	999.00	641.26	अल्पसंख्यक बहुल शेष जिलों से संबंधित जिला योजनाओं को अनुमोदित किया जाना तथा पहले से अनुमोदित परियोजनाओं के लिए निधियां जारी करना।	दिनांक 31.03.2013 तक 1110 करोड़ रु0 की परियोजनाओं का अनुमोदन। स्वीकृत मदों में इंदिरा आवास योजना के मकान, आंगनवाड़ी भवन, स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अवसंरचना, जल आपूर्ति परियोजनाएं, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, स्कूल भवन, बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास, औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोलीटेक्नीक आदि शामिल हैं।
10.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2012-13	70.00	66.00	756 नई अध्येतावृतियां प्रदान किया जाना तथा नवीकरण।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नवीकरण तथा 756 नई अध्येतावृत्तियां प्रदान करने हेतु निधियां जारी की गई है।
11.	राज्य वक्फ बोर्डों (एसडब्लयूबी) के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	2012-13	5.00	0.89	30 राज्य वक्फ बोर्डों को शामिल किया जाना (इनमें जम्मू और कश्मीर और केन्द्रीय वक्फ परिषद शामिल हैं।)	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों को ₹0.89 करोड़ की राशि जारी की गयी है।

(करोड़ ₹ में)						
क्रम सं0	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
12.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	2012-13	15.00	10.45	40,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना।	36950 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 12 राज्यों के 64 संगठनों को निधियां जारी की गई।
13.	अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध छात्रों के लिए विदेशों में अध्ययन संबंधी योजना हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता	2012-13	2.00	0.00	अभी निर्धारण किया जाना है।	चूंकि योजना का मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रियाधीन है, अतः इसे कार्यान्वित नहीं किया सका।
14.	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना	2012-13	2.00	0.00	अभी निर्धारण किया जाना है।	– तदैव –
15	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	2012-13	5.00	0.00	15 राज्य वक्फ बोर्डों को कवर किया जाना।	– तदैव –
16	कौशल विकास पहल	2012-13	20.00	0.00	अभी निर्धारण किया जाना है।	– तदैव –
17	यूपीएससी, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता।	2012-13	4.00	0.00	अभी निर्धारण किया जाना है।	– तदैव –
18	100 अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों में शिक्षा संवर्धन योजना	2012-13	50.00	0.00	अभी निर्धारण किया जाना है।	इसे क्रमांक 9 पर बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के साथ आमेलित कर दिया गया है।
19	एमसीबी/एमसीडी द्वारा कवर न किए गए गांवों हेतु ग्राम विकास कार्यक्रम	2012-13	50.00	0.00	अभी निर्धारण किया जाना है।	– तदैव –

20	अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जिला स्तरीय संस्थान को सहायता।	2012-13	25.00	0.00	अभी निर्धारण किया जाना है।	– तदैव –
21	9वीं कक्षा की छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिल	2012-13	5.00	0.00	अभी निर्धारण किया जाना है।	– तदैव –
22	सचिवालय	2012-13	1.00	0.95	मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना।	प्रावधान का उपयोग मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया।
23	वक्फ को सहायता–अनुदान (गैर–योजनागत)	2012-13	3.20	2.88	अधिक आय सृजित करने के लिए शहरी वक्फ परिसंपत्तियों को व्यावसायिक स्तर पर विकसित करना ताकि कल्याण से जुड़े क्रियाकलापों में वृद्धि की जा सके।	7 परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत। दो प्रस्ताव प्रक्रियाधीन।
24	केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान (गैर–योजनागत)	2012-13	0.03	0.00	केन्द्रीय वक्फ परिषद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना।	योजना को जुलाई, 2009 में स्वीकृति मिली थी, किन्तु इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्टॉफ संरचना को अभी स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

वर्ष 2013–14 का विवरण

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	योजना / कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
1.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता– अनुदान	2013-14	160.00	160.00	150 गैर–सरकारी संगठनों को ऋण संवितरित करना और छात्राओं को 35,000 छावृत्तियां प्रदान करना।	120 गैर–सरकारी संगठनों को 15.04 करोड़ रु0 सहायता अनुदान स्वीकृत तथा छात्राओं के लिए 35159 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई है।
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (इक्विटी में अंशदान)	2013-14	120.00	0.00	गैर–सरकारी संगठनों / राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 96,200 लाभार्थियों को ₹350 करोड़ राशि का सावधि और लघु ऋण संवितरित करना।	गैर–सरकारी संगठनों / राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 75,966 लाभार्थियों को ₹325.46 करोड़ का लघु ऋण / वित्तीय सहायता संवितरित की गई।
3.	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	2013-14	2.00	2.00	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान जारी किया जाना।	
4.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	2013-14	25.00	23.68	6000 छात्रों को कोचिंग देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना।	9997 छात्रों को कोचिंग के लिए निधि जारी की गई।

(करोड़ ₹ में)						
क्रम सं0	**योजना / कार्यक्रम**	**वर्ष**	**वित्तीय लक्ष्य**	**वित्तीय उपलब्धि**	**वास्तविक लक्ष्य**	**वास्तविक उपलब्धि**
5.	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान / अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	2013-14	45.00	42.42	मंत्रालय की योजनाओं / कार्यक्रमों से संबंधित मीडिया अभियान चलाना और अनुसंधान / अध्ययन कराना।	इन विषयों नामतः अल्पसंख्यक महिला सशक्तिकरण; बहु–संस्कृति वाद और कानून; अल्पसंख्यक अधिकारों की समझ, संविधान और कानून; तथा धर्म निरपेक्ष–वाद, अल्पसंख्यक अधिकार एवं संविधान पर क्रमशः अमेठी, अलीगढ़, देहरादून और हैदराबाद में चार राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। एक मल्टी मीडिया अभियान चलाया गया। 1154 समाचार पत्रों में विज्ञापन मुद्रित कराए गए। आकाशवाणी तथा निजी एफएम चैनलों द्वारा सम्पूर्ण भारत में श्रव्य–दृश्य स्पॉट प्रसारित कराए गए। दूरदर्शन नेटवर्क पर टीवी कॉमर्शियल प्रसारित कराए गए और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 61 थियटरों सहित सम्पूर्ण भारत के 4475 थिएटरों में डिजिटल सिनेमा के माध्यम से दिखाए गए। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने अल्पसंख्यकों से संबंधित 6 डॉक्युमेंट्री फिल्में पूरी की। मदर टेरेसा और सूफी संस्कृति के बारे में डॉक्युमेंट्री फिल्में दूरदर्शन पर प्रसारित की गईं। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू आदि में नए पम्फलेट मुद्रित कराए गए।

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	योजना/कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
6.	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	2013-14	270.00	260.00	60,000 छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना। (नवीकरण छोड़कर)	1,00,428 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं (नएः 69,377 और नवीकरणः 31,051) (छात्राओं के लिए 39,329)
7.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2013-14	950.00	963.79	40 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना (नवीकरण छोड़कर)।	77.94 लाख छात्रवृत्तियां (छात्राओं के लिए 38.51 लाख छात्रवृत्तियां) प्रदान की गईं।
8.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2013-14	548.50	515.76	5 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना (नवीकरण छोड़कर)।	8.90 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। (छात्राओं के लिए 4.89 लाख छात्रवृत्तियां)
9.	अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम।	2013-14	1250.00	646.42	अल्पसंख्यक बहुल शेष जिलों से संबंधित जिला योजनाओं को अनुमोदन करना और पहले से अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा किए जाने हेतु निधियां जारी करना।	31.03.2013 तक 1110 करोड़ रु0 की परियोजनाओं का अनुमोदन। अनुमोदित मदों में इंदिरा आवास योजना मकान आंगनवाड़ी भवन, स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अवसंरचना, जल आपूर्ति परियोजनाएं, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, स्कूल भवन, बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास, औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोलीटेक्नीक आदि शामिल हैं।
10.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2013-14	90.00	50.02	756 नई अध्येतावृतियां प्रदान किया जाना तथा नवीकरण।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 756 नई तथा नवीनीकरण अध्येतावृत्तियां प्रदान करने हेतु निधियां जारी की गई।

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	योजना / कार्यक्रम	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
11.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	2013-14	3.00	2.98	30 राज्य वक्फ बोर्डों को शामिल किया जाना (इनमें जम्मू और कश्मीर और केन्द्रीय वक्फ परिषद शामिल हैं।)	राज्य वक्फ बोर्डों को ₹2.98 करोड़ की राशि जारी की गयी है।
12.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	2013-14	15.00	11.95	40,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना।	60,875 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 24 राज्यों को निधियां जारी की गई।
13.	अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध छात्रों के लिए विदेशों में अध्ययन संबंधी योजना हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता	2013-14	2.00	0.00	अभी निर्धारण किया जाना है।	चूंकि योजना का मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रियाधीन है, अतः इसे वर्ष 2014–15 से कार्यान्वित किया जाएगा।
14.	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना	2013-14	2.00	0.41	अभी निर्धारण किया जाना है।	केवल पक्षसमर्थन किया गया है।
15	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	2013-14	5.00	0.00	15 राज्य वक्फ बोर्डों को कवर किया जाना।	
16	कौशल विकास पहल	2013-14	17.00	16.99	20,000 अल्पसंख्यक युवा	20,164 अल्पसंख्यक युवा
17	यूपीएससी, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता।	2013-14	3.00	1.95	अभी निर्धारण किया जाना है।	483 अभ्यर्थियों को 1.95 करोड़ रु0 की वित्तीय सहायता दी गई थी।
18	सचिवालय	2013-14	1.50	1.13	मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना।	प्रावधान का उपयोग मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया।
19	राज्य और संघ राज्य वक्फ़ बोर्डों को सहायता अनुदान (गैर–योजनागत)	2013-14	3.18	2.68	अधिक आय सृजित करने के लिए शहरी वक्फ परिसंपत्तियों को व्यावसायिक स्तर पर विकसित करना ताकि कल्याण से जुड़े क्रियाकलापों में वृद्धि की जा सके।	7 परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत। दो प्रस्ताव प्रक्रियाधीन।

(करोड़ ₹ में)						
क्रम सं0	**योजना / कार्यक्रम**	**वर्ष**	**वित्तीय लक्ष्य**	**वित्तीय उपलब्धि**	**वास्तविक लक्ष्य**	**वास्तविक उपलब्धि**
20	केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान (गैर–योजनागत)	2013-14	0.03	0.00	केन्द्रीय वक्फ परिषद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना।	योजना को जुलाई, 2009 में स्वीकृति मिली थी, किन्तु इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्टॉफ संरचना को अभी स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

वित्तीय समीक्षा अध्याय–V											
अध्याय–V (क)											
वित्तीय समीक्षा – वर्ष 2013–14 हेतु बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान और वर्ष 2014–15 का बजट अनुमान दर्शाने वाला विवरण											
											(करोड़ ₹ में)
क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2013-14)			संशोधित अनुमान (2013-14)			बजट अनुमान (2014-15)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल
	राजस्व खंड										
1	सचिवालय	2251	1.50	9.60	11.10	1.20	10.28	11.48	1.50	10.84	12.34
2	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	2225	**0.00**	**5.63**	**5.63**	0.00	5.43	5.43	**0.00**	**7.30**	**7.30**
3	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	2225	0.00	1.54	1.54	0.00	1.42	1.42	0.00	1.69	1.69
4	वक्फ को सहायता–अनुदान	2235	0.00	3.18	3.18	0.00	2.68	2.68	0.00	3.15	3.15
5	केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान	2235	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03
6	मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान को सहायता–अनुदान	2225	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	113.00	0.00	113.00
7	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	2225	22.50	0.00	22.50	22.34	0.00	22.34	22.50	0.00	22.50
		2552	2.50	0.00	2.50	1.41	0.00	1.41	2.50	0.00	2.50
			25.00	**0.00**	**25.00**	**23.75**	**0.00**	**23.75**	**25.00**	**0.00**	**25.00**

										(करोड़ ₹ में)
क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2013-14)			संशोधित अनुमान (2013-14)			बजट अनुमान (2014-15)	
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल
8	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	2235 (प्रचार)	39.50	0.00	39.50	39.22	0.00	39.22	39.50	0.00	39.50
	व्यावसायिक सेवाएं	2235	5.20	0.00	5.20	2.90	0.00	2.90	5.20	0.00	5.20
		2552	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30
		योग	**45.00**	**0.00**	**45.00**	**42.42**	**0.00**	**42.42**	**45.00**	**0.00**	**45.00**
9	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	2225	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80
		2552	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20
		योग	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**	**0.00**	**2.00**
10	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2225	81.00	0.00	81.00	50.10	0.00	50.10	45.00	0.00	45.00
		2552	9.00	0.00	9.00	0.01	0.00	0.01	5.00	0.00	5.00
		योग	**90.00**	**0.00**	**90.00**	**50.11**	**0.00**	**50.11**	**50.00**	**0.00**	**50.00**

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2013-14)			संशोधित अनुमान (2013-14)			बजट अनुमान (2014-15)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल
11	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	2235	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70
		2552	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30
		योग	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**
12	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	2235	13.50	0.00	13.50	13.24	0.00	13.24	12.50	0.00	12.50
		2552	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50
		योग	**15.00**	**0.00**	**15.00**	**14.74**	**0.00**	**14.74**	**14.00**	**0.00**	**14.00**
13	विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज में छूट	2235	1.80	0.00	1.80	0.59	0.00	0.59	3.60	0.00	3.60
		2552	0.20	0.00	0.20	0.07	0.00	0.07	0.40	0.00	0.40
		योग	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**0.66**	**0.00**	**0.66**	**4.00**	**0.00**	**4.00**
14	अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना	2235	2.00	0.00	2.00	0.66	0.00	0.66	2.00	0.00	2.00
15	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	2225	0.20	0.00	0.20	0.11	0.00	0.11	6.30	0.00	6.30
		2235	0.10	0.00	0.10	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
		3601	5.80	0.00	5.80	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
		3602	0.20	0.00	0.20	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
		2552	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70
		योग	**7.00**	**0.00**	**7.00**	**1.93**	**0.00**	**1.93**	**7.00**	**0.00**	**7.00**

(करोड़ ₹ में)											
क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2013-14)			संशोधित अनुमान (2013-14)			बजट अनुमान (2014-15)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल
16	कौशल विकास पहल	2225	0.21	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21
		2235	14.79	0.00	14.79	14.79	0.00	14.79	30.79	0.00	30.79
		2552	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00
		योग	**17.00**	**0.00**	**17.00**	**17.00**	**0.00**	**17.00**	**35.00**	**0.00**	**35.00**
17	संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारांभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता	2225	2.70	0.00	2.70	1.66	0.00	1.66	3.60	0.00	3.60
		2552	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.40	0.00	0.40
		योग	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**1.96**	**0.00**	**1.96**	**4.00**	**0.00**	**4.00**
18	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति।	2225	1.00	0.00	1.00	0.82	0.00	0.82	295.65	0.00	295.65
		3601	239.00	0.00	239.00	239.00	0.00	239.00	6.25	0.00	6.25
		3602	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.10	0.00	0.10
		2552	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	33.00	0.00	33.00
		योग	**270.00**	**0.00**	**270.00**	**269.82**	**0.00**	**269.82**	**335.00**	**0.00**	**335.00**
19	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	2225	11.60	0.00	11.60	9.19	0.00	9.19	8.00	0.00	8.00
		3601	1086.25	0.00	1086.25	832.33	0.00	832.33	1094.00	0.00	1094.00
		3602	12.15	0.00	12.15	0.02	0.00	0.02	10.00	0.00	10.00
		2552	140.00	0.00	140.00	116.99	0.00	116.99	138.00	0.00	138.00
		योग	**1250.00**	**0.00**	**1250.00**	**958.53**	**0.00**	**958.53**	**1250.00**	**0.00**	**1250.00**

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान (2013-14)			संशोधित अनुमान (2013-14)			बजट अनुमान (2014-15)		
			योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल
20	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियां	2225	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**2.70**	**0.00**	**2.70**	**2.75**	**0.00**	**2.75**
		3601	847.00	0.00	847.00	880.70	0.00	880.70	982.25	0.00	982.25
		3602	5.00	0.00	5.00	1.79	0.00	1.79	5.00	0.00	5.00
		2552	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	110.00	0.00	110.00
		योग	**950.00**	**0.00**	**950.00**	**980.19**	**0.00**	**980.19**	**1100.00**	**0.00**	**1100.00**
21	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	2225	2.50	0.00	2.50	0.98	0.00	0.98	527.40	0.00	527.40
		3601	487.50	0.00	487.50	487.50	0.00	487.50	11.00	0.00	11.00
		3602	3.50	0.00	3.50	1.66	0.00	1.66	0.10	0.00	0.10
		2552	55.00	0.00	55.00	53.29	0.00	53.29	60.00	0.00	60.00
		योग	**548.50**	**0.00**	**548.50**	**543.43**	**0.00**	**543.43**	**598.50**	**0.00**	**598.50**
22	मौलाना आजाद मेडिकल सहायता	2225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80
		2552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
		योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	योग (राजस्व खंड)		**3391.00**	**19.98**	**3410.98**	**3071.40**	**19.84**	**3091.24**	**3591.00**	**23.01**	**3614.01**
	पूंजीगत खंड										
23	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	4225	108.00	0.00	108.00	35.64	0.00	35.64	108.00	0.00	108.00
		4552	12.00	0.00	12.00	3.96	0.00	3.96	12.00	0.00	12.00
			120.00	0.00	120.00	39.60	0.00	39.60	120.00	0.00	120.00
	योग (राजस्व खंड)		120.00	0.00	100.00	39.60	0.00	39.60	120.00	0.00	120.00
	कुल योग= (राजस्व + पूंजीगत) खंड		**3511.00**	**19.98**	**3530.98**	**3111.00**	**19.84**	**3130.84**	**3711.00**	**23.01**	**3734.01**

अध्याय V(ख)

वित्तीय समीक्षा

वित्तीय समीक्षा – वर्ष 2011–12 से 2013–14 के लिए परिव्यय सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान परिव्यय तथा वास्तविक व्यय के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम (स्वीकृत, राजस्व/पूंजीगत)	परिव्यय (2011–12)	वास्तविक व्यय (2011–12)	परिव्यय (2012–13)	वास्तविक व्यय (2012–13)	परिव्यय (2013–14)	वास्तविक व्यय (2013–14)
	गैर–योजनागत						
1	सचिवालय–सामाजिक सेवा	7.16	6.19	8.12	7.75	9.60	10.33
2	अन्य सामाजिक सेवाएं						
i)	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम)	5.65	4.67	6.36	4.36	5.63	4.92
ii)	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (सीएलएम)	1.99	1.47	1.99	1.32	1.54	1.33
3	i) वक्फ को सहायता–अनुदान	1.19	2.04	3.20	2.88	3.18	2.68
	ii) केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान	0.01	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
	iii) राज्य वक्फ बोर्डों को सहायता–अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग =	**16.00**	**14.37**	**19.70**	**16.31**	**19.98**	**19.26**

							(करोड़ ₹ में)
क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम (स्वीकृत, राजस्व/पूंजीगत)	परिव्यय (2011–12)	वास्तविक व्यय (2011–12)	परिव्यय (2012–13)	वास्तविक व्यय (2012–13)	परिव्यय (2013–14)	वास्तविक व्यय (2013–14)
	योजनागत						
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सी एस)**						
1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान	200.00	200.00	100.00	0.00	160.00	160.00
2	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	16.00	15.98	20.00	14.00	25.00	23.68
3	एनएमडीएफसी की इक्विटी में अंशदान	115.00	115.00	100.00	99.64	120.00	0.00
4	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/ अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	36.00	24.48	40.00	31.05	45.00	42.42
5	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	2.00	1.35	2.00	0.00	2.00	2.00
6	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	15.00	0.00	15.00	10.45	15.00	11.95
7	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति	52.00	51.98	70.00	66.00	90.00	50.02
8	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	5.00	0.62	5.00	0.89	3.00	2.98
9	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण ब्याज सब्सिडी की योजना	-		*2.00*	0.00	*2.00*	0.00

						(करोड़ ₹ में)	
क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (2011–12)	वास्तविक व्यय (2011–12)	परिव्यय (2012–13)	वास्तविक व्यय (2012–13)	परिव्यय (2013–14)	वास्तविक व्यय (2013–14)
10	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवर्धनात्मक क्रियाकलाप	-	-	-	-	-	-
11	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना	-		2.00	0.00	2.00	0.41
12	कौशल विकास पहल	-	-	20.00	0.00	17.00	16.99
13	संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारांभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता	-	-	4.00	0.00	3.00	1.95
14	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	-	-	5.00	0.00	7.00	1.91
	उप–योग - (सीएस))=	**441.00**	**409.41**	**385.00**	**222.03**	**491.00**	**314.31**
ख	**केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)**						
1	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	140.00	115.67	220.00	181.18	270.00	259.90
2	अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	1218.40	779.91	999.00	641.26	1250.00	953.48
3	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	600.00	614.91	900.00	786.14	950.00	963.00
4	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	450.00	362.91	500.00	326.43	548.50	515.67

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (2011–12)	वास्तविक व्यय (2011–12)	परिव्यय (2012–13)	वास्तविक व्यय (2012–13)	परिव्यय (2013–14)	वास्तविक व्यय (2013–14)
5*	अभिज्ञात पिछड़े 100 अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों में शिक्षा संवर्धन योजना	-	-	50.00	0.00	--	--
6*	अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/अल्पसंख्यक बहुल जिलों द्वारा कवर न किये गये गांवों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम	-		50.00	0.00	-	--
7*	अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जिला स्तरीय संस्थाओं को सहायता	-		25.00	0.00	-	-
8*	नौंवीं कक्षा की छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिलें	-		5.00	0.00	-	-
9	सचिवालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सेवा	0.60	0.60	1.00	0.95	1.50	1.13
	उप–योग (सीएसएस)=	**2409.00**	**1874.00**	**2750.00**	**1935.01**	**3020.00**	**2693.18**
	कुल योग (क + ख) =	**2850.00**	**2283.41**	**3135.00**	**2157.04**	**3530.98**	**3007.49**

*इन योजनाओं को अल्पसंख्यकों हेतु बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के साथ आमेलित कर दिया गया है।

अध्याय–V (ग)

वर्ष 2012–13 और 2013–14 के बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय संबंधी प्रवृत्ति का विश्लेषण

2012–13

(करोड़ ₹ में)

	बजट अनुमान 2012-13	संशोधित अनुमान 2012–13	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान के व्यय का %	संशोधित अनुमान के व्यय का %
योजनागत में से	3135	2200	2157.98	68.84	98.09
राजस्व	3035	2100.36	2058.34	67.82	98.00
पूंजीगत	100	99.64	99.64	99.64	100
गैर-योजनागत में से	19.70	18.26	16.31	82.79	89.32
राजस्व	19.70	18.26	16.31	82.79	89.32
पूंजीगत	-	-	-	-	-
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	3154.70	2218.26	2174.29	68.92	98.02
राजस्व	3054.70	2118.62	2074.65	67.92	97.92
पूंजीगत	100.00	99.64	99.64	99.64	100

वर्न्ा 2013-14

(करोड़ ₹ में)

	बजट अनुमान 2013-14	संशोधित अनुमान 2013–14	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान के व्यय का %	संशोधित अनुमान के व्यय का %
योजनागत में से	3511	3111	3007.49	85.66	96.67
राजस्व	3391	3071.40	3007.49	88.69	97.92
पूंजीगत	120	39.60	0.00	0.00	0.00
गैर-योजनागत में से	19.98	19.84	19.26	96.40	97.07
राजस्व	19.98	19.84	19.26	96.40	97.07
पूंजीगत	-	-	-	-	-
कुल (योजनागत और गैर-योजनागत)	3530.98	3130.84	3026.75	85.72	96.68
राजस्व	3410.98	3091.24	3026.75	88.73	97.41
पूंजीगत	120.00	39.60	0.00	0.00	0.00

अध्याय–V (घ)

राज्यों और कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के पास दिनांक 01.04.2013 और 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार शेष बची राशि तथा उनके द्वारा देय उपयोग प्रमाण–पत्र की स्थिति

01.04.2013 को लम्बित उपयोग प्रमाण–पत्रों की संख्या	01.04.2013 को लम्बित उपयोग प्रमाण–पत्रों की राशि	01.04.2013 के अनुसार शेष बची राशि	01.04.2014 को लम्बित उपयोग प्रमाण–पत्रों की संख्या	01.04.2014 को लम्बित उपयोग प्रमाण–पत्रों की राशि	01.04.2014 के अनुसार शेष बची राशि
934	**1451.17**	**2907.07**	**1123**	**1507.20**	**3928.37**

अध्याय–VI

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कम्पनी है तथा मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। इन संगठनों की जवाबदेही निम्नलिखित तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है:

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी): एनएमडीएफसी कंपनी अधिनियम की धारा–25 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जिसका उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्ग में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यह कंपनी अल्पसंख्यक समुदाय के उन पात्र लाभार्थियों को स्व–रोजगार से जुड़े क्रियाकलापों के लिए रियायती दर पर वित्त उपलब्ध कराती है जिनके परिवार की आय गरीबी रेखा से दुगुना नीचे है। एनएमडीएफसी ने भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसके तहत वित्तीय और वास्तविक दोनों लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उपलब्धियों में हुई प्रगति की निगरानी त्रैमासिक समीक्षाओं के माध्यम से की जाती है।

(2) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान:

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वैच्छिक, गैर–लाभ अर्जक सोसाइटी है। यह शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढावा देता है। प्रतिष्ठान की दो मुख्य योजनाएं हैं– स्कूलों भवनों के विस्तार/उन्नयन, छात्रावासों के निर्माण, प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद आदि के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सहायता–अनुदान तथा शैक्षिक अवसंरचना का विकास और अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की योजना। सुचारू कार्य सुनिश्चित करने, जवाबदेहता और पारदर्शिता में वृद्धि लाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

i) तिमाही समीक्षा की जा रही है।

ii) प्रतिष्ठान के विभिन्न पदों के लिए प्रतिष्ठान के भर्ती नियमों को अंतिम रूप देकर और उन्हें अधिसूचित करके संगठनात्मक अवसंरचना को मजबूत किया गया है। बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठान के सचिव के रूप में केन्द्र सरकार में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है।

iii) प्रतिष्ठान को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है ताकि आवेदनों की प्राप्ति और उनसे संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सके। बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियां और गैर–सरकारी संगठनों को सहायता–अनुदान संबंधी सभी सूचनाएं प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.maef.nic.in पर उपलब्ध हैं।

iv) प्रतिष्ठान की योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित एक मूल्यांकन एवं परिसंपति सत्यापन अध्ययन वर्ष 2009–10 में भारतीय सामाजिक संस्थान द्वारा कराया गया था। एजेंसी ने अन्य बातों के साथ–साथ अनुशंसा की थी कि मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि में वृद्धि की जाए, महत्वपूर्ण आकड़ों को कम्प्यूटरीकृत किया जाए तथा धनराशि को समुचित रूप से उपयोग में लाया जाए। इन अनुशंसाओं के आधार पर प्रतिष्ठान की संचित निधि में वृद्धि की गयी है, इसके प्रमुख क्रियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है तथा निरीक्षण प्रक्रिया को कारगर बनाया गया है।

v) प्रतिष्ठान की योजना और कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रतिष्ठान के संसाधनों का संवितरण राज्य–वार ढंग से किया जा रहा है। वर्ष 2008–09 से पहले मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा गैर–सरकारी संगठनों को सहायता–अनुदान की योजना के तहत वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते थे। वर्ष 2008–09 से लक्ष्य निर्धारण का यह कार्य प्रतिष्ठान द्वारा शुरू कर दिया गया है।

(3) केंद्रीय वक्फ परिषदः देश में औकाफ के समुचित संचालन और राज्य वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली से जुड़े मुददों पर भारत सरकार को सलाह देने के मुख्य उद्देश्य से वक्फ अधिनियम, 1954 (अब वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–9 की उपधारा–1 के रूप में पठित) की धारा 8क के उपबंधों के तहत भारत सरकार द्वारा 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना की गई थी। परिषद का एक अध्यक्ष है, जो औकाफ प्रभारी केंद्रीय मंत्री हैं। परिषद में वक्फ अधिनियम में यथा उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों से 20 अन्य सदस्य हैं। वर्तमान परिषद का गठन दिनांक 12.05.2011 को पांच वर्षों की अवधि के लिए किया गया था।

औकाफ और औकाफ बोर्डों की वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से और उनके कल्याण क्रियाकलापों के क्षेत्र को विस्तृत करने हेतु केंद्र सरकार 1974–75 से शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए देश के वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों को अग्रिम वित्तीय सहायता के विशिष्ट उद्देश्य से केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता अनुदान प्रदान करती आ रही है।

भारत सरकार ने 1974–75 से सीडब्ल्यूसी को 44.33 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान जारी किया है जिसमें 2013–14 (31.3.2014 तक) जारी 268.00 लाख रुपये भी शामिल है।

(4) दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेरः राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक विश्व प्रसिद्ध वक्फ है। दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (आर.ए.) को प्राप्त धर्मार्थ दान के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन की व्यवस्था है। इस केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत, दरगाह के स्थायी निधि के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन दरगाह समिति के रूप में निहित है। नाजिम प्रबंधन समिति का सीईओ है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

(5) राष्ट्रीय वक्फ़ विकास निगम (नावाडको): राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नावाडको) का कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 31.12.2013 को वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी ढंग से एवं व्यावसायिक तौर पर विकास करने ताकि औकाफ के उद्देश्यों के अनुसार मुस्लिम समुदाय के लाभ हेतु उनकी आय की वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके, निगमीकरण किया गया था। निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रु0 की प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी के साथ 500 करोड़ रु0 है। नावाडको में (12) निदेशक होंगे। शेयर होल्डिंग प्रतिरूप निम्नानुसार हैः

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) – 49%
- केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्लयूसी) – 9%
- वक्फ संस्थान तथा सार्वजनिक – 42%

(6) आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यकः राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 350–ख के प्रावधानों के अनुसरण में भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त (सीएलएम) के कार्यालय का गठन जुलाई, 1957 में हुआ था। अनुच्छेद 350–ख के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वे भारत में संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करें और ऐसे अंतराल पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे और इन्हें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारों/प्रशासनों को भी भिजवाएंगे। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद में है, जिसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय बेलगांव, चेन्नई और कोलकाता में हैं। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त, भाषाजात अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक उपबंधों और राष्ट्रीय स्तर पर तय रक्षोपायों के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से संपर्क करते हैं। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक की जुलाई, 2011 से जून, 2012 की अवधि के लिए 49वीं रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर क्रमशः 22–08–2013 और 19–08–2013 को रखी गई थी।

(7) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम): प्रथम सांविधिक आयोग का गठन 17 मई 1993 को किया गया था। भारत सरकार ने 23 अक्तूबर, 1993 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत पाँच धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिमों, ईसाईयों, सिक्खों, बौद्धों तथा पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया था।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और ख्यातिप्राप्त तथा योग्य और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से केन्द्र सरकार द्वारा नामित पांच सदस्य होंगे, परन्तु अध्यक्ष सहित सभी 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 4(1) के अनुसार अध्यक्ष सहित सभी सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

आयोग का मुख्य कार्य अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उपबंधित और केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विधियों में दिए गए रक्षोपायों के कार्यकरण को मॉनीटर करना और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच करना है। यह आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी करता है और अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की अनुशंसा भी करता है।

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने सांविधिक राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन कर लिया है। पंजाब और केरल की राज्य सरकारों ने असांविधिक आयोग का गठन किया है। मंत्रालय ने शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से इन आयोगों का गठन करने का भी अनुरोध किया है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत पहले से ही अधिसूचित पांच अल्पसंख्यक समुदायों के अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में जैन समुदाय को भी शामिल कर लिया है।

****